



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238198
CG-DL-E-18082022-238198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3703]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944

No. 3703]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

का.आ. 3877(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में एनएच -65 के विजयवाड़ा - मचिलीपट्टनम खंड के 4-लेन-देन के हिस्से के रूप में विनिर्दिष्ट NH16 के कि.मी. 1095.6 से कि.मी.1098.5 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/छे-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब-कलेक्टर, विजयवाड़ा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में NH16 के कि.मी. 1095.6 से कि.मी.1098.5 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: एनटीआर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: विजयवाड़ा पूर्व					
गांव का नाम: गुनादला					
1	448/1C	निजी()	ड्राय	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
2	448/2C1	निजी	ड्राय	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
3	448/2C2	निजी	ड्राय	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
4	451/3	निजी	ड्राय	405.0000000(वर्ग मीटर)	0.0405000
5	452/1C1	निजी	ड्राय	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
6	453/3B1	निजी	ड्राय	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
7	453/3B2	निजी	ड्राय	243.0000000(वर्ग मीटर)	0.0243000
8	453/4B	निजी	ड्राय	101.0000000(वर्ग मीटर)	0.0101000
9	455/2C	निजी	ड्राय	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
10	455/3B1	निजी	ड्राय	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
गांव का नाम: विजयवाड़ा टाउन (वीएमसी)					
1	1399	निजी	हाउस साइट	192.9200000(वर्ग मीटर)	0.0192920
2	1400	निजी	ड्राय	695.2000000(वर्ग मीटर)	0.0695200
3	1420	निजी	हाउस साइट	127.0200000(वर्ग मीटर)	0.0127020
कुल				3,423.1400	0.3423

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/72-LA/2005/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022

S.O. 3877(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning/six laning etc.), maintenance, management and operation of NH16 in the stretch of land from Km 1095.6 to Km 1098.5 as part of 4-laning of Vijayawada - Machilipatnam Section of NH-65 in the District of NTR in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Collector, Vijayawada in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 1095.6 to Km. 1098.5 of NH16 in the District of NTR in the state of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH			District: NTR		
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Vijayawada East					
Village: Gunadala					
1	448/1C	Private	Dry	324.0000000(Square Meter)	0.0324000
2	448/2C1	Private	Dry	243.0000000(Square Meter)	0.0243000
3	448/2C2	Private	Dry	324.0000000(Square Meter)	0.0324000
4	451/3	Private	Dry	405.0000000(Square Meter)	0.0405000
5	452/1C1	Private	Dry	202.0000000(Square Meter)	0.0202000
6	453/3B1	Private	Dry	243.0000000(Square Meter)	0.0243000
7	453/3B2	Private	Dry	243.0000000(Square Meter)	0.0243000
8	453/4B	Private	Dry	101.0000000(Square Meter)	0.0101000
9	455/2C	Private	Dry	283.0000000(Square Meter)	0.0283000
10	455/3B1	Private	Dry	40.0000000(Square Meter)	0.0040000

Village: Vijayawada Town (VMC)					
1	1399	Private	House Sites	192.9200000(Square Meter)	0.0192920
2	1400	Private	Dry	695.2000000(Square Meter)	0.0695200
3	1420	Private	House Sites	127.0200000(Square Meter)	0.0127020
Total				3,423.1400	0.3423

[F. No. NHAI/BOT/11012/72-LA/2005/3A]

RAJESH GUPTA, Director